पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा

सत्यमेव जयते

समयबद्ध /सूचना का अधिकार मामला

भारत सरकार
विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

संख्याः सी/551/5/2015-जेपी

दिनांक 22 जनवरी, 2015

श्री बी. के. गौतम
400/1 वाहर बड़ागांव गेट
झांसी (उ.प्र.) - 284002

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत, श्री बी. के. गौतम द्वारा मांगी गई सूचना के संबंध में।

महोदय,

माननीय प्रधानमंत्री जी के विदेशी दौरे के संबंध में प्रश्न क्रमांक-3 में चाही गई जानकारी नीचे दी गई है। उनके इस दौरे पर हुए कुल खर्च की जानकारी का उत्तर हमारे मंत्रालय के प्रोटोकॉल अनुभाग देगी। वार्षिक शिखर बैठक के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जापान का आधिकारिक दौरा 30 अगस्त से 03 सितम्बर, 2014 को हुआ।

२. 'टोक्यो डिक्लेरेशन भारत-जापान अहम रणनीति और ग्लोबल पार्टनरशिप' दोनों प्रधानमंत्रियों के द्वारा हस्ताक्षरित किए गए। भारत-जापान पार्टनर परस्पर विकास का फैक्टशीट जारी किया गया था। इस दौरे का मुख्य परिणाम निकला। आर्थिक पक्ष पर, एक नया भारत जापान निवेश संवर्धन भागीदारी, शुरू किया गया था, जिसके तहत जापान ने पांच साल की अवधि में, भारत में 3.5 ट्रिलियन येन सार्वजनिक-निजी निवेश करने के लिए और साथ ही भारत में सक्रिय जापानी कंपनियों की संख्या दोगुनी करने के अपने इरादे की जानकारी दी। रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी सहयोग का एक नया प्रमुख क्षेत्र के रूप में पहचान की थी। दौरे के दौरान, जापानी पक्ष छः भारतीय संस्थाओं को जापानीज विदेशी छोर यूजर लिस्ट में से हटाने पर सहमत हुआ है। दोनों पक्ष आपसी सहयोग और तालमेल को कई क्षेत्रों में मजबूती प्रदान करने पर सहमत हुआ है जिसमें ऊर्जा क्षेत्र, एलएनजी, रेलवे, आधारभूत ढांचा, स्मार्ट सिटीज, विज्ञान और टेक्नोलॉजी और लोगों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना भी सम्मिलित है।

३. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ठ नहीं हैं, तो आप इस पत्र की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर श्री शिल्पक अंबुले, निदेशक (पूर्व एशिया) एवं अपीलीय प्राधिकारी, कमरा संख्या 181-बी, साउथ ब्लाक, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली के पास अपील दायर कर सकते हैं।

भवदीय

बय्यापु संदीप कुमार
(बय्यापु संदीप कुमार)
अवर सचिव (ईए) केंद्रीय लोक सूचाना अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषितः-
श्रीमती मीरा सिसौदिया, अवर सचिव (आरटीआई)

286/FS/15
12-1-15

सूचना का अधिकार
82/15

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110 011

संख्या आरटीआई/116/2015-पीएमआर

दिनांक: 07/01/2015

कार्यालय ज्ञापन

डायरी संख्या
Dy. No. 390 /RTI Sec./2015
दिनांक/Date 14/01/2015

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री बी.के. गौतम से प्राप्त दिनांक 26.12.2014 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 1.1.2014 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

(पी०के० शर्मा)
अवर सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
☎: 2338 2590

1. केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी मंत्रिमंडल सचिवालय राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली — बिन्दु संख्या 1 के संबंध में
2. विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय साउथ ब्लाक, नई दिल्ली — बिन्दु संख्या 3 के संबंध में

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री बी.के. गौतम
400/1 बाहर बड़ागाँव गेट
झाँसी, उत्तर प्रदेश - 284 002

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें। इस कार्यालय के संबंध में सूचना कालान्तर में दे दी जाएगी। बिन्दु संख्या 2 विशिष्ट नहीं है।

USC(RTI)

DCP(C)
CoA
Concerned Territorial divs.

14/1

MoR

116 – 15 – 6 JAN 15 116/15

सेवा में,

दिनांक– 26/12/2014

श्रीमान सूचना / सक्षम अधिकारी
पी० एम० ओ० कार्यालय संसद भवन
नई दिल्ली (भारत)

DAK SECTION
01 JAN 2015

विषय–जन सूचना (अभिलेख प्रतिलिपि) प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र।

01–नाम आवेदक – बी०डी० गौतम – 09415179023

02–पता – म०/1 बाहर बड़ागाँव गेट झाँसी (उ०प्र०) पिन-284002

03–सम्बन्धित कार्यालय – पी० एम० ओ० कार्यालय संसद भवन

04–विवरण जन सूचना –

(1) मा० नरेन्द्र मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद कितनी कैबिनेट मंत्रीमण्डल की बैठक हुयी। तथा कितनी बैठकों में मा० प्रधान मंत्री जी ने भाग लिया तथा उन बैठकों में कितने देश हित / जन हित के कार्यों के फैसले लिये गये।

(2) मा० प्रधान मंत्री जी / मंत्रीमण्डल द्वारा एक वर्ष की क्या कार्य योजना बनाई गयी यदि बनाई गयी है तो क्या योजनायें हैं तथा उनमें से कितनी पर कार्य प्रारम्भ हो गया है और कितनी पर नहीं। जिन पर कार्य शुरू हो गया है वो कब तक पूर्ण होगी और जिन पर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ।

(3) मा० प्रधानमंत्री जी द्वारा अब तक कितने [illegible] कौन-2 से देशों की यात्रा की है तथा इन यात्राओं पर कितना धन खर्च हुआ है तथा इससे देश को कितना लाभ हुआ है।

उपरोक्त सूचनाओं की प्रमाणित कापी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

घोषणा– प्रश्नगत सूचनायें अधिनियम की धारा–8 में उल्लेखित प्रतिबन्धों से मुक्त है।

संलग्नक– सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन शुल्क 10/– भा० पोस्टल आर्डर संख्या 13 F 304443 संलग्न है।

हस्ताक्षर आवेदक

वैधानिक चेतावनी –

1– यदि व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता से सम्बन्धित सूचना 48 घण्टे व अन्य सूचनायें 30 दिन में नहीं दी जाती है या जानबूझ कर गलत, अपूर्ण गुमराह करने वाली सूचनायें दी जाती है। अथवा सूचना की विषय वस्तु को नष्ट किया जाता है अथवा सूचना देने में किसी प्रकार की बाधा डाली जाती है तो सूचना अधिकारी पर 250/– रूपये प्रतिदिन की दर से 25000/– रूपये तक जुर्माना आरोपित करने के साथ विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की जा सकती है।

2– यहकि एक्ट की धारा 8 व 9 एवं 11 में दिये गये आधारों के अलावा अन्य किसी आधार पर सूचना देने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अन्यथा धारा 20 के अन्तर्गत कार्यवाही सम्भव है।

3– यदि सूचना या सूचना का कोई अंश अन्य किसी लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित है तो सूचना अधिकारी 5 दिन के अन्दर प्रार्थनापत्र सही जगह प्रेषित कर देगा व आवेदक को इसकी सूचना देगा। आवेदक को प्रार्थना पत्र वापिस नहीं लौटायेगा।

4– यदि सूचना अधिकारी आवेदन पत्र निरस्त करता है तो उसे कारण सहित अपील हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी यानि सीनियर आफीसर का नाम बतलाना आवश्यक है।

Diary No. 26338
Date 01/01/15
Last Date 06/01/15

4119030

IPO No- 13F 304443 रु 10/-